

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



ट्रैवेल्स एजेंसियो से वाहन दरो हेतु निविदा

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश—

1. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 100/— के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।
2. ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रू0 20,000/—(बीस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि कैश काउन्टर पर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
3. वाहन का पंजीकरण व काम्प्रहेंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है।
4. चालक को समय रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. किराये पर लिये गये वाहन का रख-रखाव तथा उस पर आया सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
6. चालक का वेतन तथा विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
7. कार्य समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग-अलग कार्य का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलो में सम्बन्धित कार्यो का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
8. अनुबन्ध में जो दरें तय होंगी निविदा के अनुरूप वह केवल एक सत्र के लिए मान्य होंगी।
9. राष्ट्रीय बचत व एफ.डी.आर. प्रतिभूति मान्य नहीं होंगी।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



क्रमांक :

मूल्य रू0 200/- (दो सौ मात्र)

निविदा - प्रपत्र

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों के विज्ञापन हेतु विज्ञापन एजेंसीज से दिनांक 07/10/2009 को अपराह्न 2:00 बजे तक, जिन्हे सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो उनसे निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो कि उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जाएंगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर "विज्ञापन एजेंसी से विज्ञापन दरो हेतु निविदा" लिखना आवश्यक है। निविदा पत्र में निर्धारित धरोहर राशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम जमा करना आवश्यक है। बगैर धरोहर धनराशि के निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200 (दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत है :-

1. एजेन्सी का नाम व पता :
2. एजेन्सी की पंजीकरण संख्या :
3. एजेन्सी का टैन नं0 :
4. एजेन्सी के स्वामी का पैन नम्बर :
5. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण -
बैंक ड्राफ्ट सं0..... दिनांक बैंक का नाम राशि
6. विश्वविद्यालय में जमा की गयी प्रतिभूति राशि रू0 20,000/- (बीस हजार मात्र) का विवरण
बैंक ड्राफ्ट सं0/रसीद सं0..... दिनांक बैंक का नाम
7. विज्ञापन एजेंसी कितने समाचार पत्रों में
विज्ञापन हेतु कार्य करती है :
- (प्रमाण सहित विवरण दे)
8. विज्ञापन दरे छूट सहित :

आवेदक के हस्ताक्षर :

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



विज्ञापनो हेतु विज्ञापन एजेंसीज से दरो हेतु निविदा

आवश्यक शर्ते एवं निर्देश—

1. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा रू0 100/— के स्टाम्प पेपर पर वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।
2. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा रू0 20,000/— (बीस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि कैश काउन्टर पर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पक्ष में देय हो, जमा कराना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
3. कार्य समाप्त होने के पश्चात अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग-अलग कार्य का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलो में सम्बन्धित कार्यो का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
4. अनुबन्ध में जो दरें तय होंगी निविदा के अनुरूप वह केवल एक सत्र के लिए मान्य होंगी।
5. राष्ट्रीय बचत व एफ.डी.आर. प्रतिभूति मान्य नहीं होंगी।
6. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलसचिव